(3)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/29/2018	31–08–2018	15–11–2018

1–सुखदेव सिंह पुत्र श्री बयन्तसिंह जाति ब्राह्मण सिक्ख निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

1–करतार सिंह पुत्र श्री मंगतूराम जाति जाट निवासी ग्राम रानीला तहसील चरखी दादरी जिला भवानी हरियाणा।

–असल प्रार्थी

2–बयन्तसिंह पुत्र श्री चरण सिंह जाति ब्राह्मण सिक्ख निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान।

3–राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ जिला अलवर।

–तरतीबी अप्रार्थीगण–

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) ALWAR (RAJ.) (राज०)

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री जनार्दन शर्मा –वकील प्रार्थी
02. श्री अमर चन्द चौधरी –वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी रामगढ के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी करतार सिंह बनाम बयन्तसिंह को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ द्वारा प्रकरण में व्यक्तिगत रूची लेकर मुकदमें का जल्दबाजी में निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है। पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रकिया एवं प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है। और ऐलानीया तौर पर कहां गया है कि दिनांक 04.09.2018 को आवश्यक रूप से बहस सुनकर निर्णय कर दुंगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा मुकदमा का फैसला असल अप्रार्थी के हक में करने की धमकी प्रार्थी को दी गई। पीठासीन अधिकारी मनमानी तौर पर कार्यवाही कर असल अप्रार्थी को लाभ पहुंचाना चाहते है। पीठासीन अधिकारी द्वारा पूर्व में ही अपने निर्णय का इजहार कर दिया गया। असल अप्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से साठ–गाठ कर ली है। जिसको प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में व उनके निवास स्थान पर आते–जाते अपनी आखों से देखा है। तथा उनसे बातचीत करते देखा हैं। असल अप्रार्थी द्वारा कई बार प्रार्थी से ऐलानीया तौर पर अदालत परिसर में कहां गया कि मेरी पीठासीन अधिकारी से बात हो चुकी है। पर आगामी दिनांक 04.09.2018 को अपने पक्ष में निर्णय करा लुंगा। पत्रावली न्यायहित में किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना अत्यावश्यक है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व वाद संख्या 3/26/2018 बअनुवान करतार सिंह बनाम बयन्तसिंह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ से किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल फरमाने की कृपा करें।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी चालाक व चतुर वयक्ति है। अप्रार्थी का किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के यहां आना जाना नही है। अप्रार्थी कभी भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के चैम्बर में नहीं गया। तारीख पेशी हेतु न्यायालय में ही उपस्थित हुआ था। प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप मिथ्या एवं बेबुनियाद है।

(2)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

फिर भी यदि उक्त प्ररकण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमनें पत्रावली एवं अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेंजात एवं पीठासीन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रामगढ ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्ररकण में विधिक प्रक्रिया अनुसार ही कार्यवाही की जा रही है। मनमानी तरीके से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मेरे द्वारा प्रकरण कोई भी रूची नहीं ली जा रही है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये सभी आरोप झूठे व मनगढन्त है। वाद वर्तमान में प्रारम्भिक स्थिति में ही है। ऐसी स्थिति में पूर्व में निर्णय के इजहार का तो प्रश्न ही पैदा नही होता है। फिर भी उक्त प्ररकण अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पत्रावली मुन्तकिल करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण नही बताया गया है तथा किसी स्वतन्त्र व्यक्ति के साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **15–11–2018** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)